कार्यालय :प्राचार्यराजेंद्रसिंहरावतराजकीयमहाविद्यालयबड़कोट(उत्तरकाशी)

Telephone 01375-224428; email: principalgdcbkt@gmail.com

छात्र संघ निर्वाचन सत्र 2023-2024

विज्ञप्ति संख्या- 01

दिनांक -02/11/2023

महाविद्यालय छात्रसंघ **2023-24** के निर्वाचन तथा कार्यकारिणी के गठन हेतुनिम्नलिखित प्रारूप निर्धारित किया जाता है।

(I) (अ) छात्र संघ गठन हेतु निम्नलिखित पदों पर निर्वाचन होना है।

पदों का विवरण एवं संख्या

क्रम संख्या	पद नाम	पदों की संख्या	अभियुक्ति
1.	विश्वविद्यालय प्रतिनिधि (SDSUV)	एक पद	(श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से सम्बद्ध छात्र/छात्राएं ही प्रतिभाग करेंगे)
2.	अध्यक्ष	एक पद	
3.	उपाध्यक्ष	एक पद(छात्राओं हेतु आरक्षित)	
4.	महासचिव	एक पद	
5.	सह सचिव	एक पद	
6.	कोषाध्यक्ष	एक पद	

(ब) कार्यकारिणी सदस्य-छह पद (जिनके लिए मतदान नहीं होना है बल्कि निर्वाचन के पश्चात मनोनयन किया जाना है) छात्र संघ का निर्वाचन गोपनीय मतदान द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से किया जाएगा, निर्वाचन कार्यक्रम निम्नवत होगा।

कार्यक्रम

क्र. सं.	छात्रसंघ चुनाव कार्यक्रम	दिनांक एवं समय
1	छात्रसंघ चुनाव अधिसूचना जारी करनी की तिथि	02 नवम्बर 2023 बृहस्पतिवार अपराह्न 04:00 बजे
2	नामांकन प्रपत्रों की बिक्री	03 नवम्बर 2023 शुक्रवार प्रात:11 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक
3	नामांकन	04 नवम्बर 2023 शनिवार प्रात:11 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक
4	नाम वापसी	05 नवम्बर 2023 रविवार प्रात:10 बजे से मध्याह्न 12:00 बजे तक
5	नामांकन प्रपत्रों की जांच	05 नवम्बर 2023 रविवार मध्याह्न 12 बजे से अपराह्न 2:00 बजे तक
6	वैध सूची का प्रकाशन	05 नवम्बर 2023 रविवार अपराह्न 03:00 बजे
9	आमसभा	06 नवम्बर 2023 सोमवार अपराह्न 12:00 बजे से 2:00 तक
10	मतदान	07 नवम्बर 2023 मंगलवार प्रात: 08:00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे तक
11	मतगणना	07 नवम्बर 2023 मंगलवार अपराह्न 02:00 बजे
12	चुनाव परिणाम की घोषणा एवं शपथ ग्रहण	07 नवम्बर 2023 मंगलवार को परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद

मुख्य निर्वाचन अधिकारी/छात्रसंघ प्रभारी

निर्वाचन अधिकारी
राजकीय महाविद्यालय
बड़कोट (उत्तरकाशी)

प्राचार्य

प्राचार्य
राजेन्द्र सिंह रावत
राजकीय महाविद्यालय
बड़कोट (उत्तरकाशी)

कार्यालय :प्राचार्यराजेंद्रसिंहरावतराजकीयमहाविद्यालयबड़कोट(उत्तरकाशी)
Telephone 01375-224428; email: principalgdcbkt@gmail.com

छात्र संघ निर्वाचन सत्र 2023-2024

विज्ञप्ति संख्या - 2

निर्वाचन नियमावली

दिनांक : 02 नवम्बर 2023

(लिंगदोह समिति की सिफारिशों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों व शासनादेश सं. 1336 / xxiv (4) /2019-25 (11)/2017 दिनांक 05 दिसम्बर, 2022 एवं श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय द्वारा जारी कार्यालय पत्रांक संख्या 6963/SDSUV/प्रशासन/2023/ दिनांक 27/10/2023 के निर्देशों के अनुसार)

1. नामांकन हेतु निर्धारित प्रपत्र / प्रारूप (परिशिष्ट-1) में निर्धारित तिथि एवं समय तक ही स्वीकार किया जायेगा।
2. नामांकन शुल्क 1000.00/- (रु. एक हज़ार मात्र) होगा। नामांकन पत्रों की बिक्री की प्रक्रिया 03/11/2023 को प्रातः 11 बजे से 3 बजे के मध्य होगी । प्रत्याशी छात्र संघ निर्वाचन कार्यालय/निर्धारित स्थान से निर्धारित मूल्य जमाकर उक्त नामांकन प्रपत्र एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र लेना सुनिश्चित करें।
3. नामांकन प्रपत्र में सभी प्रविष्टियां पूर्ण करना आवश्यक होगा। अपूर्ण नामांकन प्रपत्र निरस्त (रद्द) कर दिया जायेगा।
4. नामांकन प्रपत्र में निर्धारित स्थान पर प्रत्याशी द्वारा अपना नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ चिपकाना अनिवार्य होगा।
5. नामांकन प्रपत्र के साथ हाईस्कूल प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र, स्नातक प्रथम वर्ष / सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण से अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण तक सभी परीक्षाओं की अंक तालिकाओं की प्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नामांकन स्वीकार नहीं किया जायेगा अथवा रद्द कर दिया जायेगा।
6. प्रत्येक पद के प्रत्याशी हेतु एक-एक प्रस्तावक और एक-एक अनुमोदक होगा जो महाविद्यालय का संस्थागत छात्र / छात्रा होगा / होगी।
7. किसी एक प्रत्याशी का प्रस्तावक और अनुमोदक उसी पद हेतु अन्य किसी प्रत्याशी का प्रस्तावक अथवा अनुमोदक नहीं हो सकता।
8. सक्षम समिति / अधिकारी के सम्मुख नामांकन प्रपत्र प्रस्तुत करते समय प्रत्याशी, उसके प्रस्तावक और अनुमोदक को स्वयं उपस्थित होकर नामांकन प्रपत्र में निर्धारित स्थान में हस्ताक्षर करने होंगे।

नामांकन प्रपत्र दाखिल करते समय प्रत्याशी प्रस्तावक और अनुमोदक द्वारा संस्था का वर्तमान शिक्षा सत्र का परिचय पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10. कोई भी प्रत्याशी एक से अधिक पद हेतु नामांकन दाखिल नहीं कर सकेगा।

11. किसी पद के लिये केवल एक नामांकन पत्र के वैध होने की स्थिति में सम्बन्धित प्रत्याशी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया जायेगा।

12. नामांकन प्रपत्र में निर्धारित स्थानों पर प्रत्याशी / प्रस्तावक / अनुमोदक का वही नाम अंकित होना चाहिये जो हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार सम्बन्धित संस्था में दर्ज किया गया हो। कोई भी उपनाम मान्य नहीं होगा। नाम / नामों में भिन्नता होने अथवा उप नाम लिखे होने की स्थिति में नामांकन रद्द कर दिया जायेगा।

13. प्रत्याशी को नामांकन प्रपत्र दाखिल करते समय निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-2) में नामांकन शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह छात्र संघ संविधान में उल्लिखित आचार संहिता का पालन करेगा / करेगी। आचार संहिता का उल्लंघन करने की दशा में उसे छात्र संघ निर्वाचन प्रक्रिया से अलग कर दिया जायेगा अथवा उसका निर्वाचन रद्द कर दिया जायेगा। ऐसा शपथ पत्र रू० 10 /- के स्टाम्प पेपर पर ओथ कमिश्नर या नोटरी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिये।

14. नामांकन प्रपत्र तथा नामांकन शुल्क की राशि महाविद्यालय द्वारा किसी भी दशा में वापस नहीं की जायेगी।

15. नामाकंन वापसी हेतु प्रत्याशी द्वारा दो साक्ष्यों जा महाविद्यालय में संस्थागत छात्र/छात्रा होंगे के साथ निर्धारित प्रारूप मे (परि० 3) निर्धारित तिथि और समय के भीतर सक्षम अधिकारी के सम्मुख आवेदन करना होगा ।

16. आवेदन करते समय प्रत्याशी एवं साक्ष्यों को महाविद्यालय का परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा।

17. नामांकन वापसी के बाद वैध प्रत्याशियों की सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर से पदवार देवनागरी वर्णमाला में जारी की जायेगी।

18. प्रत्येक संस्थागत छात्र/छात्रा समस्त पदों हेतु मतदाता होंगे। मत देने के लिए संस्थागत छात्र-छात्रा का परिचय पत्र (वर्तमान सत्र का) अति आवश्यक होगा।

19. विश्वविद्यालय प्रतिनिधि (श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से सम्बद्ध) मिलकर विश्वविद्यालय स्तर पर अपेक्स बॉडी (Apex Body) का गठन करेंगे।

20. यदि किसी पद हेतु प्रत्याशी का चयन सर्वसम्मति से निर्विरोध हो जाता है तो वह पद मतदान प्रक्रिया में नहीं होगा और उसे मतदान से पूर्व ही विजयी घोषित कर दिया जाएगा।

जिन छात्र/ छात्राओं के पास परिचय पत्र नहीं होगा वे मतदान की तिथि से एक दिन पूर्व (दिनांक 06/11/2023) सोमवार अपराहन 3:00 बजे तक अपना परिचय पत्र अवश्य बनवा लें। मतदान के दिन किसी भी परिस्थिति में परिचय पत्र नहीं बनाया जाएगा न ही वितरित किया जाएगा।

22. छात्रसंघ व कार्यकारिणी का कार्यकाल उस सत्र के छात्रसंघ गठन की तिथि से अगले वर्ष 30 जून तक होगा। 30 जून को छात्रसंघ स्वतः भंग माना जायेगा। अगले छात्रसंघ के गठन तक संघ के पदाधिकारियों व कार्यकारिणी के कार्यकाल का कार्यवाहक पदाधिकारियों के रूप में विस्तारण महाविद्यालयों के संस्थाध्यक्ष द्वारा कुलपति जी के अनुमोदन के उपरांत किया जा सकता है परन्तु यह अपरिहार्य स्थितियों को छोड़कर शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने के 6-8 सप्ताह से अधिक विस्तारित नहीं किया जायेगा

23. महाविद्यालय के छात्र संघ के महासंघ में कार्यकारिणी सदस्य के छः-छ पद नामांकन के आधार पर भरे जाएंगे जिसके लिए दो छात्र / छात्राएं (दो पद स्नातक विद्यार्थी) महाविद्यालय से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले छात्र / छात्राओं हेतु आरक्षित होंगे । दो विद्यार्थी खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों हेतु आरक्षित होंगे । दो पद एन.सी.सी./एन.एस.एस./ सांस्कृतिक कार्यकलापों में महाविद्यालय का नाम रौशन करने वाले विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होंगे ।

24. विश्वविद्यालय छात्र महासंघ / एपेक्स बॉडी का चुनाव पूर्व निर्दिष्ट तिथि पर माननीय कुलपति द्वारा नामित निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा संपन्न कराया जाएगा।

25. विश्वविद्यालय छात्र महासंघ / एपेक्स बॉडी के चुनाव में प्रतिभाग करने हेतु महाविद्यालय के विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों (UR) को किसी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा प्रचार आदि हेतु कोई अन्य व्यय देय नहीं होगा।

26. विश्वविद्यालय छात्र महासंघ / एपेक्स बॉडी की निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों (UR) को अपनी संस्था के प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी चुनाव प्रमाण पत्र तथा निर्धारित फीस का ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा।

27. स्नातक स्तर के छात्र / छात्रा प्रत्याशी की न्यूनतम आयु 17 तथा अधिकतम 22 वर्ष होनी चाहिए।

28. यद्यपि चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित नहीं है तथापि किसी भी दशा में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी / विद्यार्थी के वर्ष में शैक्षणिक अवशेष नहीं होने चाहिए ।(शैक्षणिक अवशेष –किसी भी शैक्षणिक सत्र अथवा सेमेस्टर में बैक पेपर नहीं होना चाहिए)

अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति पूर्ण करनी चाहिए। अभ्यर्थी के द्वारा परिशिष्ट-2 के अनुसार यह शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि विगत वर्ष उसकी उपस्थिति 75 प्रतिशत रही है और वर्तमान कक्षा में प्रवेश की तिथि से चुनाव हेतु नामांकन दाखिल करने की तिथि
तक 75 प्रतिशत उपस्थिति रही है तथा भविष्य में भी 75 प्रतिशत उपस्थिति रहेगी।

30. प्रत्याशी के पास महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय छात्र महासंघ के पदाधिकारी के रूप में चुनाव लड़ने का मात्र एक अवसर है किन्तु निर्वाचित विश्वविद्यालय प्रतिनिधि, यदि विश्वविद्यालय महासंघ के पदाधिकारी के लिये प्रत्याशी नही है, तो परिसर / महाविद्यालय के अन्य पदो पर एक बार चुनाव लड सकता है।

31. प्रत्याशी का पूर्व का कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं होना चाहिए. अर्थात उसका किसी भी प्रकार के अपराध के लिए विचारण और/अथवा दोषसिद्धि न हुई हो, महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा प्रत्याशी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की गई नहीं होनी चाहिए। इस आशय का शपथ पत्र प्रत्याशी द्वारा परिशिष्ट-2 में उल्लिखित प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा।

32. स्पष्टीकरण:"विचारण" का अर्थ यह है कि सम्बन्धित कार्यवाही आरोपित अपराधी के विरूद्ध एफ० आई० आर, अन्वेषण एवं पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र के पश्चात् आरोपित अपराधी द्वारा दोष की स्वीकारोक्ति अथवा दोषी होने से इन्कार करने के उपरान्त प्रारंभ हुई हो, परन्तु यह न्यायालय के निर्णय से पहले की अवस्था हो।

33. प्रत्याशी को सम्बद्ध महाविद्यालय का पूर्णकालिक विद्यार्थी होना चाहिए और उसे दूरस्थ / व्यक्तिगत शिक्षा का विद्यार्थी नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि सभी अर्ह प्रत्याशियों को पूर्णकालिक पाठ्यक्रम का संस्थागत विद्यार्थी होना चाहिए।

34. प्रत्याशी का महाविद्यालय में विगत वर्ष में संस्थागत छात्र / छात्रा के रूप में अध्ययनरत होना तथा विगत वर्ष में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। इसका शपथ पत्र प्रत्याशी परिशिष्ट-2 के अनुरूप प्रस्तुत करेगा।

35. प्रत्येक प्रत्याशी को निर्वाचन में व्यय करने की अधिकतम अनुमति 10000 से कम छात्र संख्या होने पर ₹25000 तथा 10000 या अधिक छात्र संख्या होने पर ₹50000 होगा।

36. प्रत्येक प्रत्याशी विश्वविद्यालय परिसर / संबंधित महाविद्यालय के प्राधिकारियों को चुनाव परिणाम घोषित होने के दो सप्ताह के अन्तर्गत स्वप्रमाणित लेखा प्रस्तुत करेगा। महाविद्यालय परिसर इस प्रकार से प्रस्तुत लेखा को 2 दिन के अन्तर्गत समुचित माध्यम से प्रकाशित करेगा। प्रकाशन के आधार पर छात्र निकाय का कोई भी सदस्य इसका परीक्षण

कर सकेगा। इस नियम का पालन नहीं करने अथवा अधिक खर्च करने वाले प्रत्याशी का निर्वाचन रद्द कर दिया जायेगा।

37. प्रत्याशी छात्र निकाय के सदस्यों से स्वैच्छिक अंशदान के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति अथवा निकाय अथवा राजनीतिक दलों से निर्वाचन के व्यय के लिए धन प्राप्त नहीं करेगा। प्रत्याशियों / प्रत्याशी को अन्य स्रोतों से प्राप्त धन को विशेष रूप से निर्वाचन में व्यय करने से रोका जायेगा।

38. निर्वाचन सम्बन्धी खर्चे और वित्तीय जवाबदेही की उपरोक्त अनिवार्यताओं का अनुपालन करने का शपथ पत्र प्रत्याशी के द्वारा परिशिष्ट-2 के प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।

39. निर्वाचन के दौरान कोई भी व्यक्ति, जो परिसर / महाविद्यालय का छात्र नहीं है, उसे किसी भी क्षमता में निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी। जो कोई व्यक्ति, प्रत्याशी विद्यार्थी अथवा छात्र संघ का सदस्य इस नियम का उल्लंघन करता है, उसका निर्वाचन रद्द करने के अतिरिक्त उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकेगी।

40. यदि संस्थाध्यक्ष आवश्यक समझते हो तो समस्त निर्वाचन प्रक्रिया के संचालनार्थ अधिकतम चार सदस्यीय निर्वाचन समिति का गठन कर सकते हैं जिसमें छात्र संघ प्रभारी पदेन मुख्य निर्वाचन अधिकारी होंगे। समिति के शेष सदस्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य करेंगे।

41. निर्वाचन प्रक्रिया जैसे नामांकन दाखिल करना, नाम वापसी, मतदान, मतगणना, निर्वाचन परिणाम की घोषणा और शपथ ग्रहण के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, संस्थाध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित निर्वाचन अधिसूचना जारी करेंगे, जिसमें उपरोक्त सभी प्रक्रियाओं से सम्बन्धित समय और तिथियों का उल्लेख किया जायेगा।

42. निर्वाचन की अधिसूचना के उपरांत अधिकतम 10 दिनों के भीतर समस्त निर्वाचन प्रक्रिया (नामांकन दाखिल करने से लेकर शपथ ग्रहण तक) सम्पन्न कर ली जायेगी।

43. यदि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोई अप्रत्याशित घटना घटित होती है या विवाद उत्पन्न होता है और इस सम्बन्ध में विधिवत् शिकायत प्राप्त होती है तो संस्थाध्यक्ष द्वारा गठित निर्वाचन समिति/छात्रसंघ प्रभारी, जैसी भी स्थिति हो, उस पर विचार कर अपना निर्णय देगा / देंगी। लिया गया निर्णय अन्तिम होगा। किसी भी प्रत्याशी को इस निर्णय के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में वाद दायर करने का अधिकार नहीं होगा।

44. निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अर्थात नामांकन दाखिल करने के पश्चात् और परिणामों की घोषणा से पूर्व किसी प्रत्याशी की असामयिक मृत्यु हो जाने पर निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित

नहीं की जायेगी। मृतक को सम्बन्धित पद पर सर्वाधिक मत प्राप्त हो जाने पर उसे निर्वाचित घोषित न कर उसके निकटतम प्रतिद्वंदी को निर्वाचित घोषित किया जायेगा।

45. छात्रसंघ के गठन के पश्चात् शैक्षिक सत्रान्त से पूर्व किसी पदाधिकारी की असामयिक मृत्यु हो जाने अथवा किसी पदाधिकारी द्वारा संस्था छोड़ देने अथवा किसी पदाधिकारी के पदच्युत हो जाने के कारण यदि कोई पद रिक्त हो जाता है तो उस पद हेतु पुनः निर्वाचन नहीं किया जायेगा, वरन् उपाध्यक्ष को अध्यक्ष के पद पर और सह सचिव को सचिव के पद पर जैसी भी स्थिति हो, पदोन्नति किया जा सकता है ।

46. मतदान प्रक्रिया नामांकन वापसी के पश्चात वैध प्रत्याशियों हेतु मतदान कराया जायेगा।

47. मतदान प्रजातांत्रिक तरीके से एक पद एक मत के आधार पर कराया जायेगा।

48. मतदान हेतु "गुप्त मतदान पद्धति अपनायी जायेगी।

49. महाविद्यालय में मतदाताओं की संख्या के आधार पर एक अथवा अधिक मतदान बूथ बनाये जा सकते है।

50. प्रत्येक मतदान स्थल पर मतदान करवाने हेतु संस्थाध्यक्ष / मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा टीम गठित की जायेगी। यह टीम महाविद्यालय के पदाधिकारियों हेतु चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न करायेगी।

51. मतपत्र पर क्रमांक मुद्रित किया जायेगा।

52. मतदाता को मत पत्र निर्गत करने से पूर्व मत पत्र प्रतिपर्ण पर मतदाता के हस्ताक्षर कराये जायेंगे और मतपत्र के दूसरी तरफ पर पीठासीन अधिकारी / मतदान अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

53. यदि प्रत्याशी चाहे तो मतदान स्थल पर स्वयं उपस्थित रह सकता है, लेकिन उसकी उपस्थिति के दौरान प्रत्याशी का अभिकर्ता मतदान स्थल पर उपस्थित नहीं रहेगा।

54. मतदान स्थल पर उपस्थित प्रत्याशी को मतदान से पूर्व मत पेटी खाली होने और उनके सम्मुख मत पेटी सील बन्द करने सम्बन्धी घोषणा पत्र पर (परि०- 4) हस्ताक्षर कर सकते हैं और इस प्रकार मतदान समाप्ति पर उनके सम्मुख मत पेटी सील बन्द करने सम्बन्धी घोषणा पत्र (परि०- 5) पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।

55. यदि मतदान प्रारम्भ होने से 5 मिनट पूर्व तक कोई भी प्रत्याशी मतदान स्थल पर उपस्थित नहीं होता है तो मतदान अधिकारी मत पेटी सील बन्द कर निर्धारित समय में मतदान प्रारम्भ करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

56. मतदाता द्वारा संस्था का वर्तमान सत्र का परिचय पत्र सम्बन्धित मतदान स्थल के अधिकारियों को दिखाने पर ही उसे मतदान का अधिकार दिया जायेगा।

संस्था के निर्वाचन कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये सुभिन्नक चिह्न वाले मुहर द्वारा ही मतदान किया जायेगा।

58. प्रत्याशियों अथवा उनके समर्थकों द्वारा मतदान स्थल के भीतर तथा संस्था, परिसरों के अन्दर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार नहीं किया जायेगा, अन्यथा इसे निर्वाचन आधार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा।

59. मतदान समाप्ति के बाद मतदान अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप (परि0-6) में मतपत्र लेखा तैयार कर मतपेटी के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी को हस्तगत करना होगा।

60. मतदान के समय या इसके उपरान्त किसी हिंसक वारदात अथवा अन्य किसी कारण से मतदान में व्यवधान होने पर निर्वाचन समिति की संस्तुति पर संरक्षक द्वारा मतदान स्थगित किया जा सकता है। स्थगन सम्पूर्ण शिक्षा सत्र के लिए भी हो सकता है। स्थगन की अवधि व्यवधान उत्पन्न होने के कारणों, प्रकृति और संवेदनशीलता आदि पर निर्भर करेगी।

61. मतदान प्रक्रिया के सुचारू संचालन हेतु संस्थाध्यक्ष उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त अन्य नियम भी निर्गत कर सकते है।

62. मतदाताओं की संख्या के आधार पर एक अथवा अधिक मतगणना केन्द्र बनाये जा सकते हैं।

63. निर्वाचन समिति अथवा अधिकारी की देख-रेख में निर्धारित समयानुसार विभिन्न मतगणना केन्द्रों पर मतगणना कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

64. प्रत्याशी मतगणना केन्द्र पर स्वयं उपस्थित रह सकते है अथवा मतगणना केन्द्र हेतु निर्धारित मतगणना नियुक्ति प्रपत्र (परि० 7) द्वारा एक अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। अभिकर्ता नियुक्ति पत्र मतगणना अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करने पर ही अभिकर्ता को मतगणना केन्द्र पर उपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

65. कोई भी मतगणना अभिकर्ता मतगणना समाप्ति से पूर्व मतगणना स्थल नहीं छोड़ेगा।

66. मतगणना प्रारम्भ होने से पूर्व उपस्थित प्रत्याशी / अभिकर्ताओं द्वारा मत पेटी के सील बन्द होने की निर्धारित घोषणा पत्र (परि०-8) पर हस्ताक्षर करने आवश्यक होंगे। इसी प्रकार मतगणना समाप्ति पर मतगणना से संतुष्ट होने और मतगणना परिणामों को स्वीकार करने के निर्धारित घोषणा प्रपत्र (परि०- 9) पर हस्ताक्षर करने आवश्यक होंगे। मतगणना समाप्ति के पश्चात् मतगणना अधिकारियों द्वारा भी मतगणना शीट पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा।

67. मतगणना 50-50 अथवा 100-100 मत पत्र के बंडल बनाकर की जायेगी। प्रत्येक बंडल की गणना के बाद उपस्थित अभिकर्ता अपनी गणना का मूल्यांकन मतगणना अधिकारियों की गणना से करेंगे। किसी प्रकार की भिन्नता होने पर उस बंडल की उसी समय पुनः मतगणना कर ली जायेगी।

मतगणना अधिकारियों की मतगणना अंतिम मानी जायेगी और इस गणना के आधार पर संस्थाध्यक्ष अथवा मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन परिणामों की घोषणा की जायेगी।

69. उपलब्ध करायी गयी मोहर के चिन्ह के अतिरिक्त मतदाता द्वारा मत पत्र पर कोई अन्य चिन्ह या स्याही अथवा पेन का प्रयोग किये जाने पर मत पत्र अवैध माना जायेगा।

70. यदि मतपत्र पर मतदाता द्वारा हस्ताक्षर किया गया हो अथवा उस पर कुछ लिखा गया हो तो मतपत्र अवैध माना जायेगा।

71. यदि एक मतपत्र में एक से अधिक पदों हेतु मतदान कराया गया हो और उनमें एक या कुछ प्रत्याशियों के सम्मुख कोई निशान बनाया गया हो या कुछ लिखा गया हो तो उस पद / पदों हेतु मत अवैध होगा। किन्तु अन्य पदों हेतु मत वैध माना जायेगा।

72. सुभिन्नक चिह्न किसी पद के दो प्रत्याशियों के सम्मुख होने की स्थिति में मत की गिनती उस प्रत्याशी के पक्ष में की जायेगी जिस प्रत्याशी के खाने में चिन्ह का कटान बिन्दु स्थित होगा। कटान बिन्दु दो प्रत्याशियों के मध्य स्थित लाईन के ठीक ऊपर होने पर उस पद हेतु गत अवैध होगा।

73. यदि किसी पद हेतु निर्वाचित प्रत्याशी और उसके निकटतम प्रतिद्वन्दी के बीच अधिकतम 3 मतों का अन्तर है अर्थात् हार जीत का अन्तर अधिकतम तीन मतों का होने पर निकटतम् प्रतिद्वन्दी (हारने वाला प्रत्याशी) यदि चाहे तो परिणाम की घोषणा के 30 मिनट के भीतर रू0 500/- मात्र की धनराशि जो किसी भी दशा में लौटायी नहीं जायेगी के साथ पुनर्मतगणना हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सम्मुख प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। पुनर्मतगणना का परिणाम अन्तिम और सर्वमान्य होगा। तत्पश्चात् कोई मतगणना नहीं की जायेगी।

74. महाविद्यालय के छात्रसंघ चुनाव में जब दो प्रत्याशियों को समान मत प्राप्त होंगे तो विजेता का चुनाव लॉटरी के पर्ची विधि से होगा।

75. परिणाम घोषित होने के बाद यथाशीघ्र शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी।

76. मतगणना के पश्चात् सभी मत पत्र छात्र संघ प्रभारी की निगरानी में रखे जायेंगे और एक सप्ताह बाद संस्थाध्यक्ष की अनुमति लेकर विनिष्टीकरण हेतु गठित स्थायी समिति द्वारा नष्ट कर दिये जायेंगे। कोई विवाद लम्बित होने की स्थिति में विवाद के निपटारे के एक सप्ताह के बाद मत पत्र नष्ट कर दिये जायेंगे। मत पत्रों का विनिष्टीकरण हो जाने पर समिति अविलम्ब इस सन्दर्भ में संस्थाध्यक्ष को विहित प्रारूप (परिशिष्ट 11) में सूचित करेगी।

77. छात्र संघ चुनाव संबंधी दस्तावेजों के विनिष्टीकरण के लिए प्रत्येक महाविद्यालय में एक स्थायी समिति का गठन किया जायेगा जो कि निम्नवत होगी-महाविद्यालय में : छात्र संघ प्रभारी पदेन समन्वयक होंगे; मुख्यशास्ता सदस्य एवं संस्थाध्यक्ष / प्राचार्य द्वारा नामित प्रतिनिधि सदस्य होंगे।

78. कोई भी प्रत्याशी कोई ऐसी गतिविधि अथवा उसका अवप्रेरण नहीं करेगा, जिससे विभेद को बढ़ावा मिलता हो अथवा पारस्परिक विद्वेष उत्पन्न होता हो, अथवा विभिन्न जातियों, धार्मिक एवं भाषाई समुदायों अथवा विभिन्न छात्र समूहों के मध्य विवाद पैदा होता हो।

79. अन्य प्रत्याशियों की आलोचना केवल उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पूर्ववृत्तों और कार्यों तक सीमित होनी चाहिये। सभी प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशियों अथवा उनके समर्थकों के निजी जीवन के सभी पहलुओं, जो लोक कार्य-कलापों से सम्बन्धित नहीं है, की आलोचना से दूर रहेंगे। अन्य प्रत्याशियों और उनके समर्थकों पर अप्रमाणित आरोप लगाने अथवा मिथ्या वर्णन करने से भी प्रत्याशी दूर रहेंगे।

80. मत प्राप्त करने के लिये जाति अथवा साम्प्रदायिक भावना के आधार पर आग्रह नहीं किया जायेगा। परिसर के अन्दर अथवा बाहर पूजा स्थलों का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जायेगा।

81. सभी प्रत्याशियों हेतु ऐसे कृत्य अथवा उनका उत्प्रेरण करना, जो कि भ्रष्ट आचरण तथा अपराध की श्रेणी में आते हों, जैसे मतदाताओं को रिश्वत देना, उन्हें आतंकित करना, छद्म मतदाता बनाना, गतदान केन्द्र से 100 मीटर की परिधि के भीतर चुनाव प्रचार करना, मतदान समाप्ति के निर्धारित समय से महाविद्यालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर जनसभा करना तथा मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक आवागमन अथवा यातायात के साधनों द्वारा लाना ले जाना निषिद्ध होगा।

82. किसी भी प्रत्याशी को प्रचार के लिए मुदित इश्तहार मुदित पैम्पलेट (पुस्तिका) अथवा किसी अन्य मुदित सामग्री के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी। प्रचार के लिए प्रत्याशी केवल हाथ से बने हुये, ऐसे इश्तहारों का प्रयोग कर सकते हैं, जो विहित व्यय के अन्तर्गत ही सृजित किये गये हैं।

83. किसी भी प्रत्याशी को महाविद्यालय के बाहर जुलूस निकालने अथवा जनसभा करने अथवा किसी भी तरह का प्रचार करने की अनुमति नहीं होगी।

84. बिना महाविद्यालय प्राधिकारियों की लिखित अनुमति के किसी भी प्रत्याशी अथवा उसके समर्थकों को महाविद्यालय की किसी भी सम्पत्ति को किसी भी उद्देश्य के लिए विरूपित अथवा क्षतिग्रस्त नहीं करने दिया जायेगा। सभी प्रत्याशी संयुक्त और पृथक रूप से परिसर / महाविद्यालय की सम्पत्ति को विरूपित / क्षतिग्रस्त करने के लिए दायित्वाधीन होंगे।

85. प्रत्याशी चुनाव के दौरान जुलूस और / अथवा जन सभायें कर सकते हैं, परन्तु इस प्रकार के जुलूसों और जनसभाओं से विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में किसी भी प्रकार से कक्षाओं के संचालन और अन्य शैक्षणिक और सह शैक्षणिक कार्य-कलापों में व्यवधान नहीं डाला जा सकेगा। ऐसा कोई जुलूस / जनसभा महाविद्यालय प्राधिकारियों की पूर्व लिखित अनुमति के बिना आयोजित नहीं किया जा सकेगा।

86. प्रचार के उद्देश्य के लिए ध्वनिक्षेपक (लाउडस्पीकर) वाहनों और जानवरों का प्रयोग प्रतिबंधित होगा।

87. प्रत्याशियों को मतदान की तिथि से पूर्व जनरल गैदरिंग में अपने विचार छात्र / छात्राओं के समक्ष रखने हेतु पाँच मिनट का समय दिया जायेगा।

88. मतदान के दिन विभिन्न छात्र संगठन और प्रत्याशी –

- निर्वाचन के कार्य में लगे हुये अधिकारियों के साथ शांतिपूर्ण और व्यवस्थित निर्वाचन सम्पन्न कराने तथा मतदाताओं को बिना किसी खीज अथवा व्यवधान पहुंचाये उनके स्वतन्त्र मतदान के उपयोग में सहयोग करेंगे।
- मतदान के दिन पेयजल के अलावा कोई भी तरल अथवा ठोस पदार्थ को पीने अथवा खाने के लिए न देंगे और न वितरित करेंगे।
- मतदान के दिन किसी भी प्रकार का प्रचार नहीं करेंगे।

89. मतदाताओं के अतिरिक्त कोई भी छात्र / व्यक्ति, निर्वाचन समिति अथवा महाविद्यालय प्राधिकारियों से प्राप्त वैध परिपत्र / पत्र के बिना निर्वाचन स्थल में प्रवेश नहीं करेगा।

90. सभी प्रत्याशी संयुक्त रूप से निर्वाचन सम्पन्न होने के 48 घंटे के अन्दर निर्वाचन स्थल की सफाई करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

91. शास्तिः उपरोक्त आचार संहिता के विपरीत कार्य करने में प्रत्याशी का प्रत्याशित्व अथवा उसका निर्वाचित पद, जैसी भी स्थिति हो, निराकृत हो सकता है। महाविद्यालय प्राधिकारी उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी कर सकते हैं।

92. उपर्युक्त रूप से वर्णित आचार संहिता के अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 153 क (विभिन्न वर्गों के मध्य विद्वेष को बढ़ावा देना) और अध्याय 9-क निर्वाचन सम्बन्धी अपराध (रिश्वत देना, अनुचित दबाव डालना, छद्म मतदान/असत्य घोषणा आदि) भी छात्रसंघ निर्वाचन में लागू होंगे।

93. विश्वविद्यालय महाविद्यालय में एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ होगा। इसका अध्यक्ष अधिष्ठाता छात्र कल्याण / छात्र कल्याण हेतु प्रभारी शिक्षक होगा। इसके अतिरिक्त संकाय का एक वरिष्ठ सदस्य, एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तथा अन्तिम वर्ष में अध्ययनरत

इस कार्य हेतु नामित एक छात्र और एक छात्रा (विद्यार्थियों को मेरिट और / अथवा पूर्व वर्ष में सह शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर नामित) भी इसके सदस्य होंगे। शिकायत प्रकोष्ठ निर्वाचन सम्बन्धी समस्त शिकायतों के निवारण के लिए अनिवार्य रूप से गठित किया जायेगा, और उसकी व्यापक अधिकारिता में निर्वाचन आचार संहिता के उल्लंघन एवं निर्वाचन से सम्बन्धित व्यय की शिकायत पर विचार करने की शक्ति भी शामिल होगी। यह प्रकोष्ठ शैक्षिक संस्थान की नियमित इकाई होगी।

94. अपने कर्तव्यपालन के अनुक्रम में शिकायत प्रकोष्ठ का अधिकार है कि यह आचार संहिता के उल्लंघन होने अथवा प्रकोष्ठ द्वारा दी गई व्यवस्था का उल्लंघन होने पर उल्लंघनकर्त्ता का अभियोजन कर सकेगा। यह प्रकोष्ठ प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के न्यायालय की तरह कार्य करेगा। शिकायत प्रकोष्ठ आचार संहिता के उल्लंघन के विवाद तथा विधि और व्यवस्था के विवाद पर निर्णय देगा। इसके निर्णय के विरुद्ध पीड़ित पक्षकार / पक्षकारों को संस्था के अध्यक्ष के पास अपील करने का अधिकार होगा। अपील में संस्थाध्यक्ष शिकायत प्रकोष्ठ के द्वारा अधिरोपित शास्ति को समाप्त अथवा संशोधित कर सकता है। शिकायत प्रकोष्ठ शिकायतों पर विचार करते समय सम्यक प्रक्रिया का अनुपालन करेगा व पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा। इस कार्यवाही को सम्पादित करने में शिकायत प्रकोष्ठ के पास अधिकार होगा कि वह

- प्रत्याशियों, अभिकर्ताओं, कार्यकर्ताओं और विद्यार्थियों को उपस्थित होने और साक्ष्य देने तथा आवश्यक पत्रावली प्रस्तुत करने हेतु लिखित आदेश जारी कर सकेगा।
- किसी भी प्रत्याशी के वित्तीय विवरण का परीक्षण करेगा और अनुग्रह किये जाने पर इन अभिलेखों को लोक परीक्षण के लिए उपलब्ध करायेगा।
- शिकायत प्रकोष्ठ के सदस्य शिकायत दायर नहीं कर सकते हैं। अन्य कोई भी विद्यार्थी निर्वाचन के परिणाम घोषित होने की तिथि से 3 (तीन) दिनके भीतर शिकायत प्रकोष्ठ को शिकायत कर सकता है। सभी शिकायतें शिकायतकर्ता विद्यार्थी के नाम से होनी चाहिए। शिकायत प्रकोष्ठ शिकायत प्राप्त होने के 24 घण्टे के भीतर शिकायत को खारिज करने अथवा सुनवाई करने पर निर्णय लेगा। शिकायत प्रकोष्ठ शिकायत को निम्नलिखित परिस्थितियों में खारिज कर सकता है-

1. शिकायत उपरोक्त निर्धारित समय सीमा के अन्दर नहीं की गई है।
2. शिकायत अपेक्षित अनुतोष (Relich) के लिए वाद हेतु (Cause of action) स्थापित करने में असफल है।

शिकायतकर्ता को कोई क्षति अथवा हानि नहीं हुई है और/अथवा होने की संभावना नहीं है।

यदि शिकायत खारिज नहीं की जाती है तो इसकी सुनवाई की जायेंगी। शिकायत प्रकोष्ठ शिकायतकर्ता तथा शिकायत में उल्लिखित समूह/व्यक्तियों को लिखित अथवा ई-मेल द्वारा सुनवाई के स्थान और समय के बारे में सूचना देगा। पक्षकार तब तक सूचित किये गये नहीं माने जायेंगे जब तक कि शिकायत की एक प्रति उनके द्वारा प्राप्त नहीं कर ली जाती है। शिकायत की यथासम्भव अविलम्ब सुनवाई कर ली जायेगी, लेकिन पक्षकारों को उक्त सूचना प्राप्त होने के 24 घंटे के अन्दर सुनवाई आरम्भ नहीं की जायेगी, जब तक कि सभी पक्षकार 24 घण्टे के नियत समय का अभित्यजन करने के लिए सहमत नहीं हो जाते हैं। सुनवाई की सूचना जारी करते समय यदि शिकायत प्रकोष्ठ व्यक्ति विशेष अथवा निकाय पर विपरीत अथवा अनुचित प्रभाव को रोका जाना आवश्यक समझाता है, तो वह बहुमत से अस्थाई अवरोधक आदेश जारी कर सकता है ऐसा कोई भी अवरोधक आदेश शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा सुनवाई के पश्चात् निर्णय घोषित किये जाने अथवा ऐसे आदेश को विखंडित कर दिये जाने तक प्रभावी रहेगा। शिकायत प्रकोष्ठ की सभी सुनवाई, कार्यवाही और बैठके परिसर में सार्वजनिक रूप से होंगी।

सभी पक्षकार शिकायत प्रकोष्ठ के सम्मुख सुनवाई के समय उपस्थित रहेंगे । पक्षकार अपने परामर्शी के रूप में किसी विद्यार्थी के साथ भी उपस्थित हो सकते हैं। उनके पास विकल्प है कि वे / यह उस परामर्शी के द्वारा प्रतिनिधित्व करा सकेंगे। किसी भी सुनवाई में शिकायत प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सहित बहुमत का उपस्थित होना अनिवार्य है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य शिकायत प्रकोष्ठ की अध्यक्षता करेगा। शिकायत प्रकोष्ठ सुनवाई के लिए प्रारूप निर्धारित करेगा लेकिन प्रकोष्ठ के सम्मुख शिकायतकर्ता तथा उत्तरदाता दोनों पक्षकारों की शिकायत के विवादों में उत्तर, खण्डन और त्वरित उत्तर (रिज्यॉडर) के लिए भौतिक रूप से उपस्थित रहना आवश्यक है। सुनवाई का लक्ष्य निर्णय, आदेश अथवा व्यवस्था देने के लिए सूचना एकत्रित करना है, जिसके आधार पर निर्वाचन सम्बन्धी विवाद का निस्तारण किया जायेगा। इस लक्ष्य के कार्यान्वयन हेतु सुनवाई के समय निम्नलिखित नियमों का अनुपालन होना चाहिये-

1. शिकायतकर्ता को दो से अधिक गवाह प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी, जबकि शिकायत प्रकोष्ठ जितना आवश्यक समझे, उतने गवाहों को बुला सकता है। यदि उक्त गवाह सुनवाई के समय उपस्थित होने में असमर्थ होते हैं तो शिकायत प्रकोष्ठ के

अध्यक्ष को "अनुपस्थिति में गवाही देने" के उद्देश्य से हस्ताक्षरित शपथ पत्र दे सकते हैं।

II. पक्षकारों के विवाद से सम्बन्धित सभी प्रश्न और बहस शिकायत प्रकोष्ठ को सम्बोधित होगी।

III. सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता अथवा उत्तरदाता को गवाहों अथवा किसी पक्षकार की परीक्षा अथवा प्रतिपरीक्षा करने की अनुमति नहीं होगी।

IV. शिकायत प्रकोष्ठ दोनों पक्षकारों की सम्यक सुनवाई के लिए युक्तियुक्त समय सीमा निर्धारित करेगा।

V. शिकायतकर्त्ता पर उसके द्वारा लगाये गये आरोप सिद्ध करने का भार होगा।

VI. शिकायत प्रकोष्ठ का निर्णय, आदेश और व्यवस्था उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पर होगा और सुनवाई के पश्चात् यथाशीघ्र घोषित किया जायेगा। निर्णय घोषित करने के 12 घण्टों के अन्दर शिकायत प्रकोष्ठ व्यवस्था की लिखित राय जारी करेगा जिसमें तथ्यों का निष्कर्ष तथा उस पर लिये गये विधिसम्मत निर्णय का उल्लेख होगा। शिकायत प्रकोष्ठ के द्वारा दी गई लिखित व्यवस्था पश्चातवर्ती तीन चुनावों के लिए पूर्व निर्णय के रूप में लागू रहेगी और शिकायत प्रकोष्ठ का भावी कार्यवाहियों हेतु मार्गदर्शन करेगी। शिकायत प्रकोष्ठ पूर्व की लिखित व्यवस्था पर विचार करके उसे उपरोक्त अवधि में भी अस्वीकार कर सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए सम्यक कारण अभिलेखित करने होंगे।

VII. यदि शिकायत प्रकोष्ठ के निर्णय की अपील संस्थाध्यक्ष को की जाती है. तो शिकायत प्रकोष्ठ अविलम्ब अपनी व्यवस्था / निर्णय को अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

VIII. शिकायत प्रकोष्ठ समुचित उपचार अथवा शास्ति का चयन करेगा। इसके लिए प्रकोष्ठ द्वारा उल्लंघन के प्रकार व गंभीरता के साथ ही उल्लंघनकर्ता की मानसिक स्थिति अथवा आशय को भी दृष्टिगत रखा जायेगा। संभावित उपचारों एवं शास्तियों में अर्थदण्ड, प्रचार संबंधी विशेषाधिकारों का निलंबन एवं निर्वाचन से निरर्हता सम्मिलित है किन्तु उक्त संभावित उपचार एवं शास्तियाँ इन्हीं तक सीमित नहीं है अपितु उनका स्वरूप इनके अतिरिक्त भी हो सकता है।

IX. निर्वाचन के क्रम में प्रत्याशियों के विरूद्ध कोई अर्थदण्ड अथवा कुल अर्थदण्ड प्रत्याशी द्वारा निर्वाचन में किये जाने वाले विधिक रूप से अनुमन्य व्यय से अधिक नहीं होना चाहिये।

x. सुनवाई के पश्चात् यदि शिकायत प्रकोष्ठ यह पाता है कि इस संहिता के प्रावधानों का प्रत्याशी, उसके अभिकर्ता अथवा कार्यकर्ता द्वारा उल्लंघन किया गया है तो शिकायत प्रकोष्ठ प्रत्याशी अथवा उसके अभिकर्ता या कार्यकर्ता को प्रचार की समस्त अथवा आंशिक गतिविधियों से कुछ समय अथवा प्रचार हेतु शेष बचे समय के लिए रोक सकता है। यदि प्रचार अवधि के आंशिक भाग के लिए ही उक्त आदेश निर्गत किया गया हो तो वह अविलम्ब प्रभाव में आ जायेगा, जिससे कि इस आदेश की अवधि समाप्त होने पर प्रत्याशी को अविलम्ब चुनाव प्रचार और निर्वाचन के दिन सहभागीदारी करने का अवसर मिल सके।

XI. यदि सुनवाई के पश्चात् शिकायत प्रकोष्ठ यह पाता है कि इस संहिता के प्रावधान अथवा शिकायत प्रकोष्ठ के विनिश्चयों, रायो, आदेशों अथवा व्यवस्था को प्रत्याशी अथवा प्रत्याशी के अभिकर्त्ता अथवा कार्यकर्ता ने जानबूझकर और स्पष्टतः उल्लंघन किया है, तो शिकायत प्रकोष्ठ प्रत्याशी को निरहित कर सकता है।

XII. शिकायत प्रकोष्ठ के निर्णय से विपरीततः प्रभावित कोई पक्षकार निर्णय घोषित होने के 24 घण्टे के अन्दर संस्थाध्यक्ष को अपील कर सकता है। संस्थाध्यक्ष के पास शिकायत प्रकोष्ठ के सभी मामलों, जिसमें शिकायत प्रकोष्ठ पर त्रुटि आरोपित की गई हो, में विवेकाधीन अपीलीय क्षेत्राधिकार होगा।

XIII. शिकायत प्रकोष्ठ का निर्णय तब तक पूर्णरूप से प्रभावी रहेगा, जब तक कि संस्थाध्यक्ष द्वारा अपील की सुनवाई कर उसे निर्णीत नहीं कर दिया जाता।

XIV. शिकायत प्रकोष्ठ व्यवस्था पर संस्थाध्यक्ष अविलम्ब सुनवाई करेगा, लेकिन शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा लिखित राय की प्रति अपीलकर्ता और संस्थाध्यक्ष को देने के बाद से 24 घण्टे के अन्दर ऐसी सुनवाई नहीं की जायेगी। इस अवधि से पहले भी सुनवाई हो सकती है, यदि अपीलकर्ता उल्लिखित अवधि का अभित्यजन कर दे और संस्थाध्यक्ष इस अभित्यजन को स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाये।

XV. संस्थाध्यक्ष अपील के निस्तारण तक शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा दी गई व्यवस्था को निलंबित करने अथवा उसका पालन रोकने का समुचित आदेश पारित कर सकता है।

XVI. अपील में संस्थाध्यक्ष शिकायत प्रकोष्ठ के निष्कर्ष का पुनर्विलोकन करेगा। संस्थाध्यक्ष शिकायत प्रकोष्ठ के निर्णय की पुष्टि अथवा इसको उलट सकेगा अथवा अधिरोपित शास्ति को संशोधित कर सकेगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

प्राचार्य
राजेन्द्र सिंह रावत
राजकीय महाविद्यालय
बड़कोट (उत्तरकाशी)